औद्योगिक विकास के लिए भूमि का होगा अनिवार्य अर्जन

- **सहजनवा और सदर तहसील के चार गांवों में 400 एकड़ भूमि अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू**
- **भूमि अधिग्रहण को सरकार की मंजूरी, किसी परिवार का नहीं होगा विस्थापन**

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : गोरखपुर शहर से सटे इलाकों में विकास की गति को तेज करने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहा है। गीडा ने दो तहसीलों, सदर और सहजनवा, के चार गांवों राउतपार, झुंगिया, मल्हीपुर और एकला में कुल 155 हेक्टेयर से अधिक यानी करीब 400 एकड़ भूमि के अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह अधिग्रहण गीडा के विस्तार योजना का हिस्सा है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराना है। जिन विशिष्ट गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उनमें सदर तहसील का राउतपार उर्फ सरैया (18.837 हेक्टेयर), और सहजनवा तहसील के झुंगिया (55.210 हेक्टेयर), मल्हीपुर (40.121 हेक्टेयर) और एकला (41.422 हेक्टेयर) शामिल हैं।

> सदर और सहजनवा के चार गांवों में 155 हेक्टेयर से अधिक जमीन का अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे उद्योग के साथ-साथ व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा।
>
> **रामप्रकाश**, एसीईओ, गीडा

भूमि अर्जन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही, प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया था। जिला कलेक्टर द्वारा कराई गई विस्तृत सर्वे और रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से किसी भी परिवार का भौतिक विस्थापन नहीं होगा। अधिकांश भूमि संभवतः खाली या कम आबादी वाली हैं, जिसके चलते प्रशासन ने बिना किसी बड़े सामाजिक प्रभाव के अनिवार्य अर्जन की संस्तुति की है।

इस भूमि बैंक की उपलब्धता से गीडा औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक परिदृश्य और बेहतर होगा। शहर के करीब होने के कारण, यह क्षेत्र होटल संचालकों, तकनीकी संस्थानों के निवेशकों और शापिंग माल डवलपर्स के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है।